

07. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. मुन्ना निषाद पुत्र अंगनू नि० ग्राम महेशपुर थाना नवाबगंज जनपद गोणडा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—३२१/२१, 02. हरिश्चन्द्र कोरी पुत्र स्व० बुधराम नि० ग्राम बाबा मनोहर दास पुरवा टोला भोपतपुर थाना नवाबगंज जनपद गोणडा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—३२२/२१, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

08. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. जगन्नाथ प्रजापति पुत्र रामउजागर नि० बेतवा थाना छपिया जनपद गोणडा के कब्जे से 19 पाउच देशी कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—२७८/२१, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 11.10.2021

लड़की को बहला—फुसलाकर भगा ले जाने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना वजीरगंज पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान लड़की को बहला—फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त—01. दीपू चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना वजीरगंज क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को बहला—फुसलाकर भगा ले गये थे। जिसके सम्बन्ध में लड़की के पिता द्वारा थाना वजीरगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. दीपू चौहान पुत्र परशुराम नि0 दुर्जनपुर घाट फकीरन पुरवा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—349 / 2021 धारा 363 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ0नि0 राजकुमार तिवारी मय टीम।